भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 350
21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं

350. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख कृषि योजनाओं के अंतर्गत बिहार को कितनी निधि जारी की गई है;
(ग) जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार का बिहार में अतिरिक्त कृषि अनुसंधान सुविधाएं स्थापित करने का विचार है; और
(ङ) कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख) भारत सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला कार्यान्वित कर रही है, जिसमें कृषि के सभी पहलुओं जैसे कि ऋण, बीमा, आय सहायता, इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलें (बागवानी सहित), बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, कृषि विस्तार, फसलों की खरीद और डिजिटल कृषि को शामिल किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा देश भर में, बिहार राज्य सहित, कार्यान्वित कृषि संबंधी योजनाओं की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख कृषि योजनाओं के अंतर्गत बिहार राज्य को जारी की गई धनराशि का विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

(ग) सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी), प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी), सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएच एंड एफ), फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) जैसी पहलों को कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके, मृदा स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, प्राकृतिक/जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सके और सतत कृषि पद्धतियों का समर्थन किया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, आईसीएआर, राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) के माध्यम से जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों और सूखा प्रतिरोधी किस्मों के विकास पर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां प्रचालित करता है।

(घ) वर्ष 2026-27 में, बिहार के लिए पीएम-आरकेवीवाई के तहत 6.69 करोड़ रुपये का आवंटन स्वीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य दलहन उत्पादन पार्क की स्थापना, हाइब्रिड मक्का की किस्मों का विकास, दुधिया मालदाह आम की किस्म का प्रसार, जलवायु-अनुकूल फसल प्रणालियों का विकास और किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन करने के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए एक उन्नत केंद्र की स्थापना के माध्यम से कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ करना है।

(ङ) भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि मूल्यवर्धन, फसलोपरांत प्रबंधन, भंडारण और विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहयोग करती है। एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम), जिसमें कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) घटक शामिल है, कृषि विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) किसानों को विनियमित बाजारों में एक एकीकृत ऑनलाइन व्यापार मंच तक पहुंच प्रदान करके पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धी विपणन को सुगम बनाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत, फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें पैकिंग हाउस, राइपनिंग चैंबर, शीत भंडारण और बागवानी उत्पादों के लिए प्रशीतित परिवहन शामिल हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के तहत, गोदामों, शीत भंडारण सुविधाओं, ग्रेडिंग और छँटाई इकाइयों, परख प्रयोगशालाओं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, पैकिंग हाउस और अन्य सामुदायिक कृषि संपत्तियों जैसी फसलोपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत, राज्यों को कृषि मूल्य श्रृंखलाओं, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण, भंडारण और बाजार संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य-विशिष्ट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है, जो स्थानीय प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित है। वर्ष 2026-27 के लिए पीएम-आरकेवीवाई के तहत, राज्य के लिए कुल 688.75 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 413.25 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 275.50 करोड़ रुपये है। स्वीकृत परिव्यय में पीएम-आरकेवीवाई डीपीआर के लिए 215.47 करोड़ रुपये, प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक के लिए 104.16 करोड़ रुपये, कृषि वानिकी के लिए 0.96 करोड़ रुपये, एसएचएफ के लिए 12.68 करोड़ रुपये, कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के लिए 246.00 करोड़ रुपये और परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के लिए 30.60 करोड़ रुपये शामिल हैं।

अनुबंध-I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित योजनाओं की सूची।

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
6. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम
7. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
8. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
11. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
12. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
13. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
14. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएच एंड एफ)
15. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
16. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
17. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
18. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
19. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
20. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और प्रोत्साहन
21. एग्रीश्योर
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. डिजिटल कृषि मिशन
24. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई)
25. राष्ट्रीय बांस मिशन
26. कृषि वानिकी
27. राष्ट्रीय मखाना बोर्ड

अनुबंध-II

बिहार के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं / केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि का विवरण।

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	**योजनाओं**	**जारी किया गया फंड**		
		2023-24	**2024-25**	**2025-26**
क	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)**			
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-डीपीआर (आरकेवीवाई-डीपीआर)	48.42	108.19	147.26
2	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)	17.25	29.99	41.80
3	कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम)	11.74	43.88	126.69
4	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	4.02	5.55	18.01
5	सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएच एंड एफ)	12.71	12.27	38.01
6	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)	0.50	0.00	16.64
7	कृषि वानिकी	-	-	0.23
ख	**कृषोन्नति योजना (केवाई)**			
1	कृषि विस्तार उप मिशन (एटीएमए)	48.81	61.00	72.57
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)	30.16	95.29	56.82
3	एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	14.06	40.00	33.80
4	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-तिलहन)	2.25	8.14	8.20
5	बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	4.03	7.00	0.05
6	राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)	-	0.26	0.61
7	डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम)	-	21.94	28.83
8	दलहन आत्मनिर्भरता मिशन	-	-	17.06
ग	**राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)**	-	0.15	12.27
	कुल योग (क+ख+ग)	**193.95**	**433.67**	**618.85**

केंद्रीय क्षेत्र की योजना

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**योजना**	**वितरित राशि**		
		2023-24	**2024-25**	**2025-26**
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	4,892.37	4,753.31	4,445.39
2	एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)	359.36	412.86	267.57
